भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5145

03.04.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु संबंधी वित्त

5145. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल;
श्री कृष्णपालसिंह यादव;
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जलवायु संबंधी वित्त के लिए कोई नीति स्थापित की है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार एनएएफसीसी के अंतर्गत अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना और हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) भारत ने देश की विकास संबंधी अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए "सर्वश्रेष्ठ प्रयास" के आधार पर, पेरिस करार के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घावधिक निम्न कार्बन विकास कार्यनीति प्रस्तुत की है। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों ने सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य योजना के रूप में भारत की प्रतिबद्धताएं निष्पादित की हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस करार के तहत वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना और साथ ही प्रौद्योगिकी का अंतरण करना विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं और उत्तरदायित्वों में शामिल हैं। भारत ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों में से अपने शेष हिस्से और प्रौद्योगिकीय सहायता की मांग भी की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) की शुरूआत ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यकलापों में सहयोग करने के लिए की गई थी जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के तहत आबंटित की गई कुल धनराशि 240 करोड़ रूपए है (बीई)। अभी तक (27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनएएफसीसी के तहत 30 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं में से कुछ सफलतापूर्वक पूर्ण/बंद कर दी गई हैं और अन्य कार्यान्वयन के अधीन हैं। ये परियोजनाएं जल, कृषि, तटीय आदि क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यकलापों को प्रदर्शित करती हैं।

(घ) सरकार ने, भारत की जलवायु कार्रवाइयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। भारत के एनडीसी ने अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों मुख्य रूप से कृषि, जल संसाधनों, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के विकास कार्यक्रमों में निवेश में बढ़ोतरी द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं के बेहतर अनुकूलन की परिकल्पना की है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी), जलवायु कार्रवाई के लिए एक व्यापक नीतिगत कार्यतंत्र है, जिसका निर्देशन सिविल सोसाइटी और स्थानीय सरकारी संस्थाओं सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी और विशिष्ट संपर्कों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के सिद्धांत से किया जाता है। सरकार द्वारा स्थापित उचित संस्थागत कार्य तंत्र से भारतीय निजी क्षेत्र ने अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाज़ार में भाग लिया। सरकार ने, दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 अधिसूचित किया जिसमें घरेलू कार्बन बाज़ार स्थापित करने के प्रावधान शामिल हैं।

देश में जलवायु कार्रवाई के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत मिशनों में से एक - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम; भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम भारत) स्कीम; ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) और उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल आदि।

(ङ) जी नहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के लिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गैर-स्कीम व्ययों के रूप में बजटीय आबंटन किया गया।

****